



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी ।

प्रेस-नोट

दिनांक:-20.07.2022

थाना-आदमपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 49/2014 धारा 363/366/376(2) भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त विष्णु चौबे उर्फ गुड्डू पुत्र आत्मा चौबे निवासी दुधौरा थाना-आदमपुर, वाराणसी को थाना-आदमपुर पुलिस के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो III वाराणसी द्वारा दिनांक- 20.07.2022 को अभियुक्त विष्णु चौबे उर्फ गुड्डू उपरोक्त को माननीय न्यायालय द्वारा धारा 363 भादवि में दोष सिद्ध करते हुए 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा रुपया 2000/-अर्थदण्ड, तथा धारा 366 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास तथा रुपया 3000/- का अर्थदण्ड, तथा धारा 376 (2) भादवि में दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा रुपया 5000/- के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।

(मीडिया सेल)

पुलिस उपायुक्त कार्यालय

जोन-काशी

कमिश्नरेट-वाराणसी ।